उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 में, उपधारा (1—क) में, खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(त) एक विश्वविद्यालय जिसे स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर के रूप में जाना जायेगा;''

धारा 50 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1—ठ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :—

''(1—ड) जब तक कि इस धारा के अधीन स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की परिनियमावली जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।''

धारा 52 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 52 में उपधारा (2—ट) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

''(2—ठ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर का प्रथम अध्यादेश, न बना लिया जाय, तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली का अध्यादेश, जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त था, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।''

अनुसूची का संशोधन

5—मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(क) क्रम संख्या—7 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेगी, अर्थातः—

''7— महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

(एक) स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना होने तक	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहांपुर जिले
(दो) स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना हो जाने पर	बरेली, बदायूँ ,पीलीभीत जिले ''

(ख) क्रम संख्या 21 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियॉ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

''22 स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर	शाहजहांपुर जिला''

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

6—(1) राज्य सरकार स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना से सम्बंधित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी अवधि के दौरान, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन, चाहे वे उपांतरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् नहीं किया जायेगा ;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियों को संशोधित और समेकित करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) अधिनियमित किया गया है।

राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु राज्य में नये विश्वविद्यालयों को स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिला शाहजहांपुर में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु एक नये राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है।

राज्य में उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट, शाहजहांपुर के अधीन संचालित शैक्षणिक इकाईयों को उच्चीकृत कर स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना करने का विनिश्चय ट्रस्ट के मुख्य प्रशासक स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती द्वारा किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 4, धारा 50, धारा 52 एवं उक्त अधिनियम की अनुसूची-5 में यथावश्यक संशोधन के प्राविधान किये जा रहे हैं। उक्त विधेयक के प्रर्वतन के आने पर राज्य की समेकित निधि से आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय होगा।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 102 सा0 विधायी–22–12–2025–(875)–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

102 Sa vidhai 2025 (Rajya Viswavidyalya 2nd) data 7e